

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहायक/सीधी भर्ती 2016/(1417)/2019/ 13

दिनांक: 7/12/19

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत नेत्र सहायक सीधी भर्ती-2016 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (पूर्व नाम राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड) द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 10.10.2016 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 5.1.2018 जारी कर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये, जिसके संदर्भ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के पत्र क्रमांक 493 दिनांक 4.12.2018 के द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थी का गैर अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य श्रेणी में नेत्र सहायक पद हेतु चयन किये जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में नेत्र सहायक के पद की पे मैट्रिक्स लेवल 5 में नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 14600/- प्रतिमाह पर दो वर्ष के प्रोबेशन कात पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नेत्र सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर अभ्यर्थी का पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान में किया जाता है :-

S. No.	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Cat	Place of Posting
1	201801000762	Shyamsundar	Sahab Singh	16/7/1996	Male	GEN	CHC Sankhoo, Churu

उक्त अभ्यर्थी का पदस्थापन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन जारी किया गया है :-

- परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मैट्रिक्स के लेवल 5 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- वित्त विभाग के परिपत्र संख्या: एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/3 दिनांक 28.1.2004 के अनुसार उक्त नवनियुक्त अभ्यर्थी पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
- उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री/सीनियर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।
- दिनांक 1.6.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है।
- उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सभी छाया प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि समक्ष अधिकारी द्वारा जारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा।
- उक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक: प01 (1) कार्मिक/(क-2)/2016/ दिनांक 15.7.2016 के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र, दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन करवायें, यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जाता है तो मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को वापस नहीं लौटाया जाये तथा निदेशालय को तत्काल अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

Shyamsundar

9. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
10. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है। अतः विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त की जावेगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वह इस नियुक्ति का पात्र नहीं माना जावेगा। परिपत्र दिनांक 22.5.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. विभागीय कर्मचारी/संविदा पर कार्यरत कर्मों अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त हो कर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देंगे।
12. अभ्यर्थी का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया गया है, वह अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करें।
13. उक्त अभ्यर्थी को दिनांक 22.2.2019 तक संबंधित अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहायक/सीधी भर्ती 2016/(1417)/2019/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, (जन स्वा./आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
7. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन बीकानेर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चूरु को प्रेषित कर लेख हैं आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थी से संबंधित मूल आवेदन पत्र की छाया प्रति एवं संलग्न दस्तावेज आदि दिनांक 14.2.2019 तक विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें एवं समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थी को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें :-
 - (i) अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
 - (ii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज लौटावे।
 - (iii) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग (ओबीसी/एमबीसी/एससी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया) में चयन हुआ है उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैध मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
 - (iv) विधवा, विकलांग एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र/डिक्री प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सही होने बाबत अभ्यर्थी से शपथ पत्र प्राप्त करना होगा।

- (v) दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कांट-छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नहीं करावें।
- (vi) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
- (vii) अभ्यर्थी का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया गया है, उनसे संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उनके दस्तावेज जांच कर उन्हें तत्काल पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।
10. चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़, चूरु को प्रस्तुत करें।
- ✓ 11. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर